

## सूचना

परियोजना पदाधिकारी, दामोदा कोलियरी ... प्रथम पक्ष  
बनाम

श्रीमति दौलती देवी एवं अन्य 04 (चार) व्यक्तियों... द्वितीय पक्ष

क्रम स.	मुकदमा स.	द्वितीय पक्ष का नाम	थाना	आवास (बीसीसीएल) आवास सं०	रकवा (वर्ग फीट)	जहाँ अवस्थित है
01	142/2023	श्रीमति दौलती देवी	बरोरा	23	02	खोदोबली
02	143/2023	श्रीमति सुरजा मुनि	मधुबन	एनएचएस-314	02	सहना
03	144/2023	श्री बिरजू चौहान	बरोरा	56	56	बरोरा
04	145/2023	श्री बिशाल कुमार	मधुबन	एनएचएस-137	02	मधुबन
05	146/2023	श्री रवि चौहान	मधुबन	एनएचएस-91	02	मधुबन

भा० को०को० लि० के परियोजना पदाधिकारी, एएमपी कोलियरी, बरोरा क्षेत्र ने लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 4(1) के अंतर्गत आपके विरुद्ध भू-सम्पदा न्यायालय, बरोरा क्षेत्र में मुकदमा दायर किया है। मुकदमा में कारणपृच्छा दाखिल करने हेतु आपको नोटिस भेजी गई थी, फिर भी आप न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे हैं।

पुनः स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आप स्वयं अथवा अधिवक्ता द्वारा दिनांक: 27/01/2024 को हाजिर होकर कारण पृच्छा दाखिल करें अन्यथा एकतरफा कारवाई सुनिश्चित कर समुचित आदेश पारित कर दिया जाएगा।

भवदीय

ह०/- भू-सम्पदा पदाधिकारी  
भू-सम्पदा न्यायालय, बरोरा क्षेत्र

यह सूचना बीसीसीएल की वेबसाइट [www.bcclweb.in](http://www.bcclweb.in) पर भी उपलब्ध है।